

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 2 लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2022

विषय - जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु नवीन सुविधाओं/व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-12/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

2- अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25-8-2020 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-6 एवं 7 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार "किसी भी विभाग द्वारा किसी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिये कार्मिकों को कितना मानदेय देय होगा, इसका निर्णय संबंधित विभाग, विभिन्न सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप एवं श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार करेगा, जो कि वर्तमान में कार्मिकों को प्राप्त हो रहे मानदेय से कम नहीं होगा। श्रम संविदा नियमावली, साप्ताहिक, राजकीय, मातृत्व आदि अवकाश एवं कार्य के घंटे जैसे नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी एवं सेवा प्रदाता द्वारा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, व जी0एस0टी0 आदि की कटौतियां नियमानुसार की जायेंगी, क्रेता विभाग द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में संज्ञान में आया है कि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को विभिन्न योजनाओं यथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि से प्राप्त लाभ की कटौतियां नहीं की जा रही हैं। यदि कटौतियां की जा रही हैं तो उनके खाते में जमा नहीं करायी जा रही हैं। अतः कार्मिकों को कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा नियमित कटौतियां की जा रही हैं एवं जमा की जा रही हैं, इसका पर्यवेक्षण संबंधित क्रेता विभाग के द्वारा पर्यवेक्षणीय अधिकारी नियुक्त करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा यदि एक माह तक कटौतियां नहीं की जाती हैं तो सेवा प्रदाता को सचेत करते हुए कटौतियां सुनिश्चित करायी जायेंगी। इसके पश्चात भी यदि 02 माह तक सेवा प्रदाता द्वारा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 व जी0एस0टी0 आदि की कटौतियां नहीं की जाती हैं तो संबंधित सेवा प्रदाता को क्रेता विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट करते हुये संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारी के विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा इस संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को प्रेषित की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कार्मिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, अवकाश व अन्य लाभ दिये जाने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।